Indian J. Soc. & Pol. 10 (01) : 99-106: 2023 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
First Published Online 31 JANUARY 2023 **ISSN: 2455-2127 (ONLINE)**

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति : एक विवेचनात्मक अध्ययन

संगीता विजय[1], सीमा प्रजापति[2]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान, भारत
[2]शोध–छात्रा, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान, भारत

ABSTRACT

21वीं सदी महिला सशक्तिकरण, सहभागिता एवं नेतृत्व की है। महिलाएँ परिवार, समाज एवं राष्ट्र की केन्द्र बिन्दु होती है। साथ ही अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों एवं क्षमताओं के कारण विशिष्ट होती है। अतः उनके व्यक्तित्व के विकास तथा गरिमामयी जीवन जीने के लिए महिलाओं के लिए विशिष्ट अधिकार तथा सुविधाएं आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण होती हैं। अतएव आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों तथा समान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहभागिता एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए जा रहें हैं। भारतीय संविधान द्वारा भी पुरूषों के समान महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए है। भारतीय संविधान में जाति, वर्ग, धर्म व लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। भारत में लैंगिक समानता लाने एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसके परिणामस्वरुप ही महिलाएँ भी पुरूष प्रधान क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहीं हैं किन्तु भारत की आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज भी महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित है। संवैधानिक कानूनी अधिकार प्राप्त भारतीय महिला आज भी शोषण की शिकार होती है। अतः भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन आवश्यक, महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए सशक्तिकरण में आने वाली बाधाएं एवं उनके समाधान हेतु सुझावों को इंगित किया गया है। यह अध्ययन द्वितीयक स्त्रोतों के आधार पर विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

KEYWORDS — *महिला सशक्तिकरण, सवैधानिक अधिकार, महिला जागरूकता*

मानव समाज में आधुनिक युग के अस्तित्व एवं संचालन का आधार मानवतावाद है। जिसको लोकतंत्र, लोककल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य की अवधारणाओं ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय के माध्यम से संपोषित किया। लैंगिक समानता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय इसके वृहद् रूप है। वस्तुतः मानव समाज, राष्ट्र व विश्व की केन्द्र बिन्दु महिला होती है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की ही नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्र की भी आवश्यकता है। सशक्त महिला–सशक्त राष्ट्र। अतः देश के विकास में महिलाओं का सशक्तिकरण आज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के बिना लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता हैं। एक महिला अपने आप में संपूर्ण होती है। महिला में सृजन, पोषण और परिवर्तन के गुण समाहित होते है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के अनुसार, 'एक अच्छे राष्ट्र को बचाने के लिए महिला सशक्तिकरण एक आवश्यक पूर्व दशा हैं। क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो समाज में स्थायित्व एवं सुनिश्चितता आती है। महिला सशक्तिकरण आवश्यक हैं क्योंकि उनके विचार व मूल्य ही एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज एवं अतंतः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की अगुवाई करते हैं।'

सशक्तिकरण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा असमर्थ/निर्बल व्यक्ति अपने जीवन की स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण करते है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम बनाती है।

महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है जो महिलाओं के उत्थान हेतु आई व विकसित हुई है। इसमें सहभागिता, संस्थागत विकास और सामाजिक परिवर्तन तीनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं, जो कि सशक्तिकरण को बहुमुखी एवं सभी ओर विकसित प्रक्रिया का स्वरूप प्रदान करते है। महिला सशक्तिकरण का सामान्य आशय महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है, किन्तु व्यापकता में इसका अभिप्राय पुरूषों के बराबर वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, तथा आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। इस प्रकार वर्तमान समय में महिलाओं को अपने अधिकार सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की और अग्रसर करना ही वास्तव में महिला सशक्तिकरण है।

महिला विकास के संदर्भ से सशक्तिकरण का तात्पर्य, महिला वर्ग पर पड़ने वाले वास्तविक दृश्य तथा अदृश्य प्रभावों, निर्धारक कारकों, उपलब्धियों एवं सीमाओं के रूप में समझा जा सकता है। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, महिलाओं में स्वयं की स्थिति में सुधार एवं विकास हेतु चेतना जाग्रत होना, उनका स्वयं के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, शिक्षण–प्रशिक्षण, विवाह के प्रति दृष्टिकोण अभिमुखन एवं सहभागिता, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति का बीजारोपण, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं पहुँच के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धी समझ आदि हैं। महिला विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम से

1: Corresponding Author

महिला सशक्तिकरण को बल मिला तथा यह अवधारणा व्यापक हुई है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही हैं। वैदिक कालीन प्रतिष्ठा प्राप्त स्त्री की आधुनिकता के आगमन तक कई बार तस्वीर बदलती रही हैं। भारत में प्राचीन काल से ही नारी की समाज में एक विशिष्ट स्थिति रही है। वेद उसे पुरूष के समकक्ष रखते है। उसे प्रकृति कहा गया है यानि जीवन का मूल तत्व। नारी को दैवी मातृशक्ति, गृहलक्ष्मी माना गया है। भारत में इतिहास के पन्नों में नारी ने प्रत्येक क्षैत्र में सफलता प्राप्त की है। परन्तु कालान्तर में लैंगिक भेदभाव पनपने से नारी की स्थिति दयनीय होती चली गई। भारत में महिलाएँ जन्म से मृत्यु तक भेदभाव का सामना करती रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आर्थिक भागीदारी आदि अनेक पुरूष संकेतक भारत में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति में विद्यमान असन्तुलन की ओर इशारा करते हैं। भारत में महिला अधिकारों की सुरक्षा का संभाव्य प्रयास राजा राममोहन राय द्वारा आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत सन् 1818 में उन्होंने सती प्रथा के विरूद्ध एक जनमत खड़ा करने की पहल थी। दस वर्षों के पश्चात् सन् 1829 में ब्रिटिश संसद द्वारा सती प्रथा के विरूद्ध एक अधिनियम पारित हुआ। इनके अतिरिक्त भारत में स्वतंत्रता से पूर्व विवेकानंद, तिलक, रानाडे, ज्योतिबा फूले आदि अनेक नेताओं द्वारा प्रयास किए गए।

भारत में महिला सशक्तिकरण : संवैधानिक एवं वैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान द्वारा महिला एवं पुरूष में बिना किसी प्रकार के भेदभाव किये जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित अधिकार प्रदान किए गए है, ताकि संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक गणराज्य को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। साथ ही महिलाओं की स्वतंत्रता, भागीदारी एवं अधिकारों के उपयोग की स्वतंत्रता एवं भागीदारी को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने हेतु महिलाओं को विशिष्ट अधिकार भी प्रदान किए गए है। जो इस प्रकार है– संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग, मूलवंश के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में भेदभाव के बिना समानता का अधिकार दिया गया। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 19 के तहत स्त्रियों को पुरूषों के समान विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।[3] अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 में समान कार्य समान वेतन का अधिकार आदि दिए गए है। अनुच्छेद 40 के तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में 73 वें 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के सभी स्तरों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 325, 326 सभी नागरिकों महिला एवं पुरूष दोनों को व्यवस्कता के आधार पर मताधिकार देकर निर्वाचन प्रणाली में लिंग भेद को निषेध करता है।[2]

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार व गैर सरकारी संगठन भी समय–समय पर अपनी अहम् भूमिका निभाई है। गर्भ में पल रही कन्या शिशु से लेकर कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, मातृत्व समय में भी महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए जा रहे है। प्रधानमंत्री मातृवान योजना से मातृत्व लाभ कानून में बदलाव कर महिलाओं को मातृत्व गर्भावस्था व स्तनपान के समय में 26 हफ्ते का वैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करके उन्हें वित्तिय सुरक्षा प्रदान की गयी है। बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं और सुकन्या समृद्धि योजना आदि कार्यक्रम लड़कियों की भ्रुण हत्या रोकने व उनकी शिक्षा व वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते है। एक स्वस्थ महिला ही सशक्त हो सकती है। अतः महिला स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्जवला योजना आदि भारतीय महिलाओं के लिए स्वास्थय व पोषण को सुनिश्चित करती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टेंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन के तहत स्वयं सहायता समूह योजना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना आदि से भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन व सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना आई है। महिला सशक्तिकरण महिला सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर पैनिक बटन आदि द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर सुनिश्चित और अनुकूल वातावरण मिल सके इत्यादि।

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति

महिला सशक्तिकरण की स्थिति को हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के आकलन से देख सकते हैं–

भारत में महिलाओं का सामाजिक–सशक्तिकरण

महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण से अभिप्राय सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के अस्तित्व से लेकर जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकतर स्वतंत्रता एवं समान व्यवहार होना है। इसमें लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। भारत में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को लिंगानुपात, साक्षरता एवं स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आंकलन कर सकते हैं।

भारत में लिंगानुपात

प्रकृति प्रदत्त लिंग व्यवस्था के आधार पर समाज में महिला एवं पुरूष दोनों से मिलकर बना होता है। समाज का सुचारू संचालन दोनों की समान आनुपातिक स्थिति से ही संभव है। अन्यथा सामाजिक असंतुलन की स्थिति हो जाती है। अतः इस संदर्भ में लिंगाानुपात पर दृष्टि डालना आवश्यक है–

भारत में 1901 में 1000 पुरूषों पर 972 महिला थी जो कि अभी तक का सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है। उसके पश्चात गिरावट ही आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरूषों पर 944 महिलाएँ थी। लिंगभेद की शुरूआत जन्म से पहले ही हो जाती है। पितृसत्ता और परम्पराओं के नाम पर कन्याभ्रूण हत्या भारत में होती है जिससे महिलाओं के अस्तित्व में ही समानता के अभाव

अर्थात् लैंगिक असमानता एवं महिला सशक्तिकरण की निम्नता को दर्शाता हैं।

भारत में लिंगानुपात

क्र.सं	वर्ष	लिंगानुपात
1	1901	972 अधिकतम
2	1911	964
3	1921	955
4	1931	950
5	1941	945
6	1951	946
7	1961	941
8	1971	930
9	1981	934
10	1991	927 न्यूनतम
11	2001	933
12	2011	944

महिला साक्षरता की स्थिति

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन होती है शिक्षा से व्यक्ति में अधिकार एवं स्वतंत्रता के प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होती है इससे सशक्तिकरण का मार्गप्रशस्त होता है। अतः महिला सशक्तिकरण के लिए महिला साक्षरता की स्थिति का आकलन आवश्यक है।

महिला साक्षरता की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता	अन्तर
1	1951	27.16	8.86	18.30
2	1961	40.40	15.35	25.05
3	1971	45.96	21.97	23.98
4	1981	56.38	29.76	26.62
5	1991	64.13	39.29	24.84
6	2001	75.26	53.67	21.59
7	2011	82.14	65.46	16.68

यद्यपि साक्षरता में लगातार अभिवृद्धि हो रही है किंतु पुरूष साक्षरता की तुलना में अभी भी महिला साक्षरता की स्थिति निम्न है जिससे महिला सशक्तिकरण की अल्पता स्पष्ट होती है।

महिला स्वास्थ्य की स्थिति

स्वस्थ व्यक्तियों से ही स्वस्थ एवं संशक्त समाज का निर्माण संभव होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय प्राथमिक आवश्यकता होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य का आकलन उनकी जीवन प्रत्याशा, पोषण की स्थिति आदि के द्वारा कर सकते हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य मुख्यतया जैवकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों से प्रभावित होता है जैसे कि कम उम्र में शादी, अषिक्षा, असुरक्षित गर्भपात, गरीबी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, माँ बनने की सही उम्र ना होना, लैंगिक विषमता शारीरिक शोषण, घरेलु हिंसा, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव आदि।

गरीबी व परिवार तथा समाज में भेदभाव के कारण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएँ और बन जाती है बल्कि इस के कारण स्वास्थ्य सेवातंत्र भी महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान आवश्यकता होती है। महिलाओं या पुरूष अच्छी सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल ससाधनों की कमी पायी जाती है। महिला स्वास्थ्य की चुनौतियाँ इस प्रकार है–

महिलाओं में जीवन प्रत्याशा

जीवन प्रत्याशा की बात की जाए तो वर्ल्ड हैल्थ स्टेटिक्स 2021 के अनुसार भारत में पुरूषों की तुलना में औसतन तीन वर्ष अधिक जीवित रहता है। लेकिन यह महिलाओं के सेहत मंद जीवन को नहीं दर्शाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट हैल्थ केयर इन इंडिया विजन 2020 रिपोर्ट के मुताबिक खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते महिलाओं की उम्र 17.5 साल तक कम हो जाती है।

पोषण की स्थिति

पोषण व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य में एक प्रमुख भूमिका निभाता है; मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति अक्सर कुपोषण की उपस्थिति से प्रभावित होती है। वर्तमान में भारत में विकासशील देशों में कुपोषित महिलाओं की दर सबसे अधिक है। 2000 में एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 70 प्रतिशत गैर–गर्भवती महिलाएं और 75 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं आयरन की कमी के मामले में एनीमिक थीं। कुपोषण के मुख्य कारकों में से एक खाद्य संसाधनों के वितरण का लिंग विशिष्ट चयन है। महिलाओं को परिवार में उचित खान–पान नहीं मिलने के कारण महिलाएँ कुपोषण का शिकार हो जाती है। मातृ कुपोषण को मातृ मृत्यु दर और बच्चे के जन्म दोषों के बढ़ते जोखिम से से भी जुड़ा है। इस प्रकार महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की स्थिति निम्न है।

भारत में महिलाओं का राजनीतिक–सशक्तिकरण

स्वतंत्रता पूर्व महिला राजनीति में अधिक सक्रिय नहीं थी। नाममात्र की महिलाओं का योगदान ही रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई महिला राजनीतिज्ञों ने भारतीय राजनीति पहल पर सफलता प्राप्त की। श्रीमति इन्दिरा गांधी भारती की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद भी कई महिलाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर विराजमान रहीं। प्रतिभा पाटील, जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी, माग्रेट अल्वा, नजमा हैपतुल्ला, शीला दीक्षित, उमा भारती, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, वसुन्धरा राजे सिन्धिया आदि ऐसे नाम है जिन्होनें भारतीय राजनीति में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाई है।[4] प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेष की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, सी.बी. मुद्यप्पा भारत की प्रथम महिला राजदूत, सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल रही।4 संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में श्रीमति विजयलक्ष्मी पंडित ने प्रथम महिला सभापति का पद प्राप्त किया। विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीति के पदों पर महिलाओं का योगदान

रहा है। भारत में महिलाओं के राजनीतिक–सशक्तिकरण की स्थिति का अध्ययन लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमण्डलों में महिलाओं की भागीदारी के आधार पर देख सकते है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ ही भारत एक गणराज्य भी है और राज्य शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदात्मक है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों में महिलाओं की भागीदारी समुचित नहीं है। भारतीय राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत से लेकर कार्यपालिका के प्रधान पद तक महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार रही है –

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुसार संसद के निम्न सदन लोक सभा में अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है जिनमें 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनित किया जाता है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य	महिला प्रतिशत
1	1952	499	22	4.4
2	1957	500	27	5.4
3	1962	503	34	6.8
4	1967	523	31	5.9
5	1971	521	22	4.2
6	1977	544	19	3.3
7	1980	544	38	5.2
8	1984	544	44	8.1
9	1989	517	27	5.2
10	1991	544	39	7.2
11	1996	543	39	7.2
12	1998	543	43	7.9
13	1999	545	49	8.65
14	2004	539	45	8.29
15	2009	543	59	10.87
16	2014	543	66	12.15
17	2019	543	78	14.36

- **राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व**

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद के उच्च सदन, राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी, जिनमें 238 सदस्य राज्यों व संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करेगा।

राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व[9]

क्र.	वर्ष	सीटें	महिला सांसद संख्या	प्रतिशत
1	1952	219	16	7.31
2	1957	237	18	7.50
3	1962	238	18	7.6
4	1967	240	20	8.3
5	1971	243	17	7.0
6	1977	244	25	10.2
7	1980	244	24	9.8
8	1984	244	28	11.4
9	1989	245	24	9.7
10	1991	245	38	15.5
11	1996	223	20	9.0
12	1998	237	22	9.2
13	2004	–	–	–
14	2009	–	–	–
15	2014	245	31	12.76
16	2019	245	26	10.83

मंत्री परिषद में महिलाओं की भागीदारी

महिलाएँ–केन्द्रीय मंत्री परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधि सत्तारूढ दल के प्रमुख पर निर्भर करता है।

मंत्री परिषद में महिलाओं की भागीदारी[10]

मंत्रियों की कुल संख्या				महिलाओं की कुल संख्या		
वर्ष	केबिनेट मंत्री	राज्यमंत्री	उपमंत्री	केबिनेटमंत्री	राज्यमंत्री	उपमंत्री
2002	32	41	0	2	6	0
2004	33	45	0	2	6	0
2019	31	47	0	2	9	0

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रीमण्डल में 78 मंत्रियो में से 11 महिलाएँ है यह 17 वर्ष में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि केन्द्रीय मंत्री मण्डल में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 7 प्रतिशत है।

राज्य विधान मण्डलों में महिलाओं की स्थिति

भारत में शासन के संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विधानमण्डल के तीन अंग – राज्यपाल (राज्य कार्यपालिका का प्रधान), विधानसभा विधानपरिषद का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य विधान सभाओं में 10 प्रतिशत से अधिक संतोषजनक नहीं है।

पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति :

भारतीय महिलाओं की अधिकाधिक स्थिति को उँचा उठाने उनके सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन स्तर को आदर्ष स्वरूप देने, जागरूकता साक्षरता आदि में वृद्वि करने के उद्देष्य से शासन की सबसे छोटी इकाई में भागीदार किया गया। अनु. 245 (घ)1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होगे। साथ ही प्रत्येक पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या का 1/3 (एक तिहाई) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 20 अप्रैल 1993 को पंचायती राज कानून में महिलाओं को 33.33 प्रतिषत आरक्षण दिया गया। तिहत्तरवे संविधान के बाद आज महिलाओं की पंचायती राज चुनावों में भागीदारी बढ रही है। [13]

कुल 255780 ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्यों की संख्या 22 लाख है। जिनमें 59,000 महिला पंचायत अध्यक्ष तथा 9 लाख महिला सदस्य है। मध्यवर्ती स्तर पर कुल 6834प्रखण्ड समितियों में

51000 प्रखण्ड समिति सदस्य है जिनमें 17000 महिलाएं है। कुल 660 जिला परिषदों की भागीदारी 50 प्रतिशत से भी कम है।[8]

भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

वर्तमान का युग सशक्तिकरण व स्वावलम्बन का युग है। इस प्रकार से आज के युग में महिला को भी अपनी योग्यतानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परिवार में स्त्री व पुरूष दोनों बराबर से परिवार की उन्नति में सहायक होते हैं तो परिवार की गाड़ी सुचारू रूप से चलती हैं। महिलाओं की आर्थिक गतिशीलता न केवल वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विकास की दिशा को बदलने की संबल रखती है वरन राष्ट्रीय विकास को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। विश्व में कामकाजी महिलाओं का अपने कार्य क्षेत्र के उच्च स्तर पर पहुंचने का आंकडा 20 प्रतिशत है।[3]

महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी है जब अधिक महिलाएं काम करती है, तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर होता है। महिला आर्थिक विविधिकरण और आय समानता को भी बढ़ाता है। महिलाओं के अधिकारों ओर लैंगिक समानता को फलीभूत करने के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण केन्द्रीय आवश्यकता हैं। एक अध्ययन के अनुसार यदि भारत में महिला व पुरूष समान रूप से कार्यरत रहें तो भारत का सकल घरेलु उत्पादन (GDP) 27 प्रतिशत से भी उपर हो सकता है। वर्तमान में भारत में लगभग 432 मिलियन महिलाएं है जिनमें से 343 मिलियन, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान अवसर देकर भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड सकता है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की ग्लोबल जैंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं की जीडीपी में महिलाओं के योगदान के कारण भारत 153 देशों में 140 वें स्थान पर है। [12]

भारत में महिलाएं स्वास्थ्य कुपोषण कई बार गर्भावस्था, अषिक्षा आदि से जुझने के बाद कृषि व कृषि से संबन्धित अन्य कार्यों, छोटी दुकाने चलाने हस्तकला उत्पादों को तैयार करने और उन्हे बेचने आदि आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। भारत सरकार के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 40 प्रतिषत महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक सहायता करती है वो किसी भी रूप में हो सकती है। अतः महिलाओं को भी अनुकूल वातावरण मिले तो वह पुरूष से कम नहीं है। यह महिला सषक्तिकरण के लिए बहुत आवष्यक है। भारत में महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न न रहने का एक प्रमुख कारण कार्य स्थल पर महिलाओं हेतु अनुकूल दशाओं का ना होना है। भारत में सामाजिक व आर्थिक विषमताएं है अपितु यहाँ सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण तथा महिलाओं के सन्दर्भ में आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित मापदण्ड भी दोहरे हैं। पुरूष प्रधानता के कारण संसाधनों पर भी पुरूष वर्ग का स्वामित्व व वर्चस्व रहा है।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली समस्याएँ

महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सषक्तता के मार्ग में अनेक समस्याएं, चुनौतियाँ एवं बाधाएं विद्यमान है– महिलाओं में शिक्षा का अभाव, लैंगिक एवं सामाजिक असमानता, जागरूकता का अभाव, असुरक्षा की भावना, जागरूकता का अभाव, भारत की सामाजिक संरचना, सामाजिक–धार्मिक कुरीतियाँ व अपराध, नैतिकता का अभाव, मनौवैज्ञानिक कारण, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आदि। जो इस प्रकार है–

- **शिक्षा का अभाव**

महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण ही वे अधिकारों के प्रति उदासीन रहती हैं। सदैव पुरूष पर निर्भर रहती हैं। इसी कारण पुरूषों की तुलना में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति कमतर हैं। यद्यपि वर्तमान में अर्न्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। बालिका–शिक्षा को एक आन्दोलन के रूप में साकार करने का प्रयास किया गया हैं। इन सभी प्रयासों के उपरांत भी महिला साक्षरता आशानुकूल नहीं हैं। महिलाओं को शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक ही बहुत समस्याओं– महिला शिक्षकों की कमी एवं विद्यालय में बालिकाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं होना आदि का सामना करना पड़ता है।

- **लैंगिक एवं सामाजिक असमानता**

परम्परावादी समाज, उसकी दृष्टि एवं रीति–रिवाजों के कारण समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिला हैं। पारिवारिक श्रम–विभाजन भी लैंगिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है। यहीं कारण हैं कि सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों के राजनीति व आर्थिक जीवन में प्रवेश को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।

- **सामाजिक–धार्मिक कुरीतियाँ व अपराध**

भारत में प्रचलित कई ऐसी कुरीतियाँ, प्रथाएँ व अंधविश्वास प्रचलित है जो कि केवल मात्र महिलाओं के लिए ही बने है, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, आदि समाज में प्रचलित इन प्रथाओं के कारण पुत्री जन्म कलंक के रूप में माना गया। कन्या भ्रुण हत्या महिलाओं के प्रति हिंसा की चरम अभिव्यक्ति है। धर्म व रीति–रिवाज के नाम पर भी स्त्रियों का शोषण किया जाता हैं जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, आदि अपराध महिलाओं के आगे बढ़ने से रोकते हैं।

- **मनौवैज्ञानिक कारण**

महिलाएँ प्राचीन काल से ही पुरूषों के संरक्षण में रही हैं। उनमें हीन भावना एवं असुरक्षा के भावों का विकास किया जाता रहा है, जिससे वे स्वयं अपने भविष्य के सम्बन्ध में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले पाती हैं। उन्हें प्रारम्भ से ही घर की सीमा तक ही सीमित रखा गया जिससे वे न तो सामाजिक, न राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो पाती है। उनमें अर्थ नेतृत्व, क्षमता, साहस, निर्णय आदि गुणों का विकास हो पाता है। इसी कारण पुरूष की भी यह मानसिकता बन जाती हैं कि महिलाएँ परिवार संभालने बच्चों के जन्म देने, उनके पालन–पोषण करने, घर तथा पति व परिवार की सेवा करने तक ही सीमित है। महिलाओं की मनोस्थिति भी इसी को स्वीकार करती है। अतः महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने में मुख्य बाधा में उनकी व समाज की मानसिकता है।

- **राजनीति में व्याप्त असुरक्षा एवं भ्रष्टाचार**

भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल सामान्यता महिला उम्मीदवारों को उम्मीदवार

के रूप में कम ही चुनता हैं। राजनीति में निरन्तर बढ़ती जा रही हिंसा, अपराधीकरण वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण भी अधिकांष महिलाएँ सक्रिय राजनीति को अपना कार्यक्षेत्र बनाने एवं भागीदारी निभानें में संकोच करती हैं। संवैधानिक रूप से उन्हें राजनीतिक समानता प्राप्त हैं व उनमें जागरूकता बढ़ी है। परन्तु आज भी पुरूष की तुलना में महिलाएँ राजनीति व निर्णय निर्माण में कम ही सक्रिय है। [11]

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूईफ्र) ग्लोबल जैंडर गेप 2020 के अनुसार, भारत राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में 18वें स्थान पर है जो कि सूचकांक के अन्य आयामों में अपनी ईंक से कहीं बेहतर है, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 149वें, शिक्षा प्राप्ति में 112वें, स्वास्थय और उत्तरजीविता में 150वें समग्र सूचकांक में 108वें स्थान पर हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण ससंद में वर्तमान में 104 महिला सांसद है जिसमें 78 लोकसभा और 26 राज्य सभा में मत्रियमण्डले हिस्सेदारी– 5.8 है। 1980 से 2014 के बीच महिला वोटर्स की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। विश्व स्तर पर राजनीति में महिलाओं की स्थिति 193 देशों में 141वें स्थान पर है। विष्व स्तर पर संसद में 22.6 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी जिसमें भारत का औसत 12 प्रतिशत है। महिलाओं के प्रति अपराधों में 2021 में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी हूई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आँकड़ों के अनुसार 30,864 शिकायतों में 11,013 सम्मान के साथ जीने के अधिकार से सम्बन्धित थीं।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाओं व समस्याओं का निपटरा करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। किन्तु महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अभी भी अनेकानेक समस्याएं एवं चुनौतियाँ विद्यमान है, उनके समाधान हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार है–

▪ शिक्षा

शिक्षा वह साधन होता है जिससे न केवल व्यक्तित्व को वरन् राष्ट्र में स्वस्थ वातावरण को भी निर्मित किया जा सकता है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। महिलाओं को स्वावलम्बनी बनाने, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर अपने इच्छित क्षेत्र में सफलता दिलाने व आत्मविश्वास के लिए शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होता हैं। शिक्षा द्वारा महिला जीवन के पारिवारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्ष को मजबूत किया जा सकता है। महिला को स्वास्थय, स्वच्छता सुरक्षा और विकास के प्रति जागरूक करती हैं। शिक्षा महिला को सक्षम बनाती है तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ अनेक अधिकार व शक्ति स्वतः हो जाती है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती बल्कि भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। अतः महिलाओं के लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यवसायिक मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक विकास के साथ–साथ तकनीकी कुशलता का विकास कर लोकतांत्रिक एवं समतामूलक समाज के निर्माण में अपना समुचित योगदान दे सकें। अतः महिलाओं के लिए शिक्षा सैद्धान्तिक एवं गुणात्मक दोनों प्रकृति की होना आवश्यक है। इसके द्वारा ही महिलाएँ सषक्त हो सकती है।[12]

▪ समान पारिवारिक दायित्व

भारतीय सामाजिक संरचना एवं परम्पराएं महिला व पुरूष के प्रति समान व्यवहार नहीं करती जबकि परिवार चलाने एवं शिशु जन्म के लिए महिला एवं पुरूष दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उनके पालन–पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति–पत्नी दोनों का होना चाहिए न कि केवल महिला का ही। समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्व केवल नारी पर ही छोड़ दिया जाना उचित नहीं है। महिलाओं के पारिवारिक दायित्वों में भी कमी करने की आवश्यकता है। इसके लिए पुरूषों की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। परिवार में स्त्री और पुरूष दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें। उनमें यह भावना विकसित करनी होगी ताकि महिलाएँ भी देश, समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

सामाजिक–कुरीति उन्मूलन

संवैधानिक व कानूनी रूप से महिला व पुरूष को समान ही माना है परन्तु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं हैं। सामाजिक कुरीतियाँ और रूढ़ियों ने महिला को निरंतर अपमानित किया जाता हैं। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण शिशु हत्या, बाल–विवाह, विधवा से अमानवीय व्यवहार आदि कुरीतियों को समाप्त कर प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं को तोड़कर महिला को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता

वर्तमान में आर्थिक गतिविधियाँ विकास का सूचक मानी जाती हैं। महिला की आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता, जिससे वह धन का उपार्जन और उसका संरक्षण कर सकें, उसकी सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार हो सकता हैं। महिलाओं को समाज में सम्मानित एवं समान स्थान प्राप्त करने के लिए उत्पादान प्रक्रिया में हिस्सा लेकर पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना सर्वाधिक अनिवार्य हैं। जब ही वे स्वयं आत्मनिर्भर होकर पूर्ण आत्म विश्वास के साथ इच्छित दिशा की ओर कदम उठाकर देष के हित में अपना यथाशाक्ति योगदान दे सकें। आत्मनिर्भरता के अभाव में योग्य कुशल एवं महत्त्वाकांक्षी महिलाएँ परावलम्बी हो जाती है। महिलाएँ पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा भी आवश्यक रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर समाज में अपना उचित सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर निर्णय ले सकने वाले उच्च पदों पर स्थान प्राप्त कर सकें।[2] महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला परिषद् ने स्त्रियों की स्थिति विषय पर रिपोर्ट में सिफारिश की महिलाकर्मी के शिशुओं के देखभाल की व्यवस्था कार्यस्थल पर होनी चाहिए ताकि वे अपना बहुमूल्य समय राष्ट्र के विकास में लगा सके। लघु उद्योगों को स्थापित कर महिलाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार में अवसर प्रदान करने चाहिए। पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करके अंशकालिक रोजगार की इच्छा रखने वाली महिलाओं

को भी अवसर प्रदान करने चाहिए। समान वेतन/समान काम के रूप में भी महिला को सशक्त किया जाना आवश्यक हैं।

सुरक्षा की व्यवस्था

वर्तमान में राष्ट्र या सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है। जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। अतः सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु उचित प्रयास किए जाने चाहिए। दोषी व्यक्ति को कठोर दण्ड दिए जाए। जिससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना दूर हो सके तथा वें निश्चित होकर स्वतंत्रता पूर्वक सामाजिक, राजनीतिक जीवन में भाग लें। स्वयं सशक्त बनें एवं देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें।

प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था

जनसंख्या की दृष्टि से महिलाएँ राष्ट्र की आधी आबादी होती है। लेकिन इस आधी आबादी की दशा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास हेतु पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भाँति शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में आरक्षण पद्धति अपना कर महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सकता है।

संचार व्यवस्था और मीडिया

संचार व्यवस्था व मीडिया को लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तम्भ के रूप में माना जाता हैं। इसी उद्देश्य की वास्तविक रूप से लागू करने हेतु संचार व्यवस्था व मीडिया की भूमिका महिलाओं के प्रति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु सकारात्मक व रचनात्मक होनी चाहिए।[4] प्रभावी रूप से महिलाओं के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। व्यवसायिक मीड़िया द्वारा रोजगार के अवसर देकर आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जा सकता है। महिलाओं को संचार मीडिया के माध्यम से बातचीत करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे जनता व सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं व समाधानों को प्रस्तुत कर सकें।

महिलाओं में जागरूकता का प्रसार

महिलाओं की समाज एवं राजनीति में सक्रियता एवं अधिकारों की उपभोग हेतु जागरूकता होना अतिआवश्यक है। इसके सरकार, राजनीतिक दलों एवं नेताओं, संस्थाओं द्वारा महिलाओं में जागरूकता लाने एवं सहभागिता को बढ़ाने के लिए जागरूकता संबंधी कार्यक्रम समय–समय पर चलाने चाहिए ताकि उनकी समझ बढें एवं जानकारी का विकास सम्भव हो सकें।

महिलाओं की सकारात्मक सहभागिता

नवीन परिप्रेक्ष्य में महिलाओं द्वारा प्रत्येक कार्य में अपनी उपस्थिति, दर्ज कराई है, अतः महिला पुरूष के आपसी समन्वय से परिवार रूपी वाहन को लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होते है। स्वास्थ्य मानसिक महिला व पुरूष दोनों की ही प्रगति में सहायक है।

स्वयं महत्त्वाकांक्षी बनें और पहल करें

महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए स्वयं निर्णय लेने की महत्त्वाकांक्षा रखनी चाहिए। अपने परिवार की विरासत के बजाय स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। महिलाओं को स्वयं में आत्मविश्वास के साथ अपने समग्र अधिकारों का उपयोग करने की भावना जागृत करनी चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक क्षेत्र में अपने पक्ष प्रस्तुत करें। निर्भरता का त्याग कर स्वयं पहल करें। महिलाएँ अपने कार्यों को आत्म विश्वास से करे तथा महिला कल्याण योजनओं के प्रति स्वयं जागरूक रहें।

लोकतांत्रिक मूल्यों की समाज एवं राजनीति में वास्तव में स्थापना

समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक स्तर पर नहीं वरन् वास्तविक धरातल पर स्थापना द्वारा भी महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा और सार्थक रोजगार के जरिये सार्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक महिलाओं की सक्रिय भूमिका और राष्ट्र निर्माण में योगदान लिया जा सकता है। इसके लिए महिलाओं को स्वावलम्बनी, शिक्षित, सुरक्षित एवं सशक्त करना चाहिए। भारत आज अपने जनसांख्यिकीय लाभ का फायदा उठाने की तरफ देख रहा हैं। ऐसे में सशक्त महिलाओं की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। महिलाएँ अव तकनीक का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष विज्ञान खेल, सेना सभी जगहों पर अपनी उपस्थित दर्ज करवा रही है। फिर भी महिला अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं शासकीय स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है। साथ ही समाज की मानसिकता बदलनी चाहिए एवं रूढ़िवादिता का त्याग कर एक नयी समावेशी विकासवादी रणनीति अपनानी चाहिए ।

REFERENCES

प्रकाश पीयुष, प्रेमसिंह, (2022). नारी सशक्तिकरण, *कुरूक्षेत्र,* मार्च 2022, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय

पटेल नीलम, तनु सेठी, (2022). आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तिकरणः सशक्त होती ग्रामीण महिलाएँ *कुरूक्षेत्र* अप्रैल, 2022, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय

गांधी, मेनका संजय (अक्टूबर 2018). महिलाओं के विकास से राष्ट्र का सशक्तिकरण/महिला सशक्तिकरण, *कुरूक्षेत्र,* अक्टूबर, 2028, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय पृ.8,10।

प्रताप सिंह, उमेश एवं राजेश कुमार गर्ग, (2012). *महिला सशक्तिकरण : विभिन्न आयाम,* नई दिल्ली, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

मीणा, मीनाक्षी, सोनिया शर्मा, (2018). *महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता : दिशा, आयाम व चुनौतियाँ,* अविष्कार पब्लिशर्स

कौशिक, आशा, (2004). *नारी सशक्तिकरण, विमर्श व यथार्थ,* जयपुर, पोइटर पब्लिशर्स

सिंह, वी. एन. एवं जनमेजयसिंह,(2010). *आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण,* जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, google.com/amp/s/navbharattimes8march,2021

हिन्दुस्तान टाइम्स 10 जून 2022

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 16 अप्रेल 2021 http://ignitd.in

https://www.ideasforindia.in

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और आरक्षण, theniralindia.in/2022/01/womens